मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक / 5561 /NS /NR-10/MGNREGA-MP/2016 दिनांक : 17 / 06 / 2016

प्रति,

1. **कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,**
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला– समस्त (म.प्र)

विषयः– वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत वेंडर्स का पंजीयन नरेगा सॉफ्ट में करने बावत्।

–––00–––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला स्तर पर नरेगा सॉफ्ट में वेंडर पंजीयन की प्रक्रिया की जाती है। राज्य में वाणिज्य कर विभाग में 80170 वेंडर पंजीकृत है, जबकि नरेगा सॉफ्ट में टिन धारक पंजीकृत वेंडर्स की संख्या मात्र 6943 है। वाणिज्य कर विभाग, म.प्र. शासन में पंजीकृत (टिन नम्बर) सामग्री प्रदाय अथवा सेवा प्रदायकर्ता की जिलेवार सूची आपको प्रेषित की जा रही है। प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शिता की दृष्टि से वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत समस्त वेंडर्स जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी याजेनांतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में सामग्री प्रदाय अथवा सेवा प्रदायकर्ता के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें नरेगा सॉफ्ट में अविलंब पंजीयन करने की कार्यवाही की जानी है।

उक्त समस्त पंजीकृत वेंडर्स को पंजीकृत करने के संबंध में जिला पंचायत से संपर्क करने के लिये राज्य स्तर से एसएमएस किया गया है। वेंडर्स को पंजीकृत करने का आवेदन उत्तरा सॉफ्टवेयर (uttra.nic.in) में प्रावधानित किया गया है। वेंडर ऑनलाईन आवेदन का लिंक www.nregs-mp.org पर भी उपलब्ध है।

कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये 30 जून 2016 तक नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये–

1. जिला पंचायत द्वारा जिले के समस्त वेंडर्स से नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन हेतु सूचना एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये संबंधित को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया जाये।
2. संबंधित से जानकारी प्राप्त होने पर नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन की कार्यवाही कर संबंधित को अवगत कराया जाये।
3. संबंधित फर्म / वेंडर्स का पंजीयन हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिये उत्तरा सॉफ्टवेयर पर भी प्रावधान किया गया है।
4. उत्तरा अंतर्गत प्राप्त आवेदन में जिले द्वारा नरेगा सॉफ्ट में वेंडर पंजीयन अंतर्गत की गई कार्यवाही को उत्तरा सॉफ्टवेयर में प्रत्युत्तर के रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
5. प्राप्त आवेदन का महात्मा गाँधी नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन करने के पूर्व सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। मात्र टिन नम्बर के आधार पर पंजीयन किया जावे।
6. पंजीयन पश्चात टिन नम्बर या अन्य जानकारी गलत प्रमाणित होने की स्थिति में संबंधित आवेदनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं पंजीयन निरस्त करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल

पृ.क्र / 5562 /NR-10/MGNREGS-MP/2016 दिनांक : / 06 / 2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ।

16/6

(आयुक्त)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल

F: NS ----